

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/655 /

जबलपुर, दिनांक 27/02/2026

दो-14-188/24

श्री उमेश कुमार खिची, ज्यूडिशियल प्रूफ रीडर (इंग्लिश), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर वर्तमान में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर की स्थापना पर संलग्न को दमोह में Brother in law का विवाह होने के कारण दिनांक 23.02.2026 से 28.02.2026 तक 6 दिन का अर्जित अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक A/656 /

जबलपुर, दिनांक 27/02/2026

दो-14-188/24

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 351 इंदौर दिनांक 10.02.2026 के संदर्भ में श्री उमेश कुमार खिची, ज्यूडिशियल प्रूफ रीडर (इंग्लिश), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर वर्तमान में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर की स्थापना पर संलग्न के आदेश प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
2. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
3. सहायक स्थापना/अवकाश/वेतन पत्रक/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
5. श्री उमेश कुमार खिची, ज्यूडिशियल प्रूफ रीडर (इंग्लिश), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर वर्तमान में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर की स्थापना पर संलग्न की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)